प्रगति के 30 माह

प्रेस कांफ्रेंस

31 दिसम्बर, 2016 अपराह्न 12:30 बजे

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

1. **लुधियाना में पहली बार स्कीमों का शुभारंभः**

मानननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीने लुधियाना समारोह में मंत्रालय की नई स्कीमों का शुभारंभ किया। पहली बार प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय की योजनाओं का शुभारंभ किया है। हम उनके आभारी हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी एवंखादी और कयर क्षेत्र के उद्यमी प्रधानमंत्री से पुरस्कारप्राप्त कर उत्साहित हुए।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हबः**

सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजननिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से 4 प्रतिशत खरीद (प्रोक्योरमेंट) सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब के प्रचालन का कार्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को दिया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब पर उच्चाधिकार प्राप्त मॉनीटरिंग समिति ने दो बैठकें की हैं जिसके परिणाम स्वरूप msmedatabank.in पर 5000 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम पंजीकरण करवा चुके हैं।

3. **जेड (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट):**

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जेड (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट) स्कीम भी शुरू की जिसके अंतर्गत मंत्रालय की जीरो इफेक्ट जीरों डिफेक्ट के लिए स्वयं को Rate कराने के लिए 22000 इकाइयों के मूल्यांकन की योजना है। जेड प्रमाणन 5 श्रेणियों अर्थात् काँसा, चाँदी, सोना, हीरा और प्लेटिनिम में होगा। Rated MSME को बेहतर व्यवसाय सुअवसर मिलेंगे।

4. <u>पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम):</u>

पीएमईजीपी प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) पोर्टल 1 जुलाई, 2016 से शुरू किया गया है। पीएमईजीपी एक ऑनलाइन स्कीम हो गई है। आवेदन प्रपत्र को भी सरल कर एकपृष्ठीय किया गया है। 2800 करोड़ रुपये मार्जिन मनी1,20,000 लाभार्थियों को दी गई है और उससे लगभग 9 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

5. <u>खादीः</u>

माननीय प्रधानमंत्री जी के विभिन्न मंचों पर खादी के संवर्धन पर जोर दिये जाने के बाद खादी के उत्पादन और बिक्री में बहुत वृद्धि हुई है। डिजाइनरों कीमदद से खादी को फैशन फैब्रिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कारीगरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति हंक यार्न परिवर्तन की मूल दर को4 रुपये से 5.50 रुपयेबढ़ाने की अधिसूचना जारी की गयी है। नयी बाजार संवर्धन विकास सहायता स्कीम (नयी एमपीडीए) के अंतर्गत, कारीगरों को 25 प्रतिशत सेबढ़ाकर 40 प्रतिशत की सहायता मिलेगी। केवीआईसी ने भी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के बाजार को सुदृढ़ करने के लिए ई-कॉमर्स और फ्रेंचाइजी स्कीम शुरू की है। खादी भवनों को खादी इंडिया आउटलेटों के रूप में रिब्रांड और विकसित किया जा रहा है। खादी के लिए एडीबी ने केआरडीपी कार्यक्रम को रीस्ट्रक्चर किया है। यह पहली बार हुआ है।इससे खादी क्षेत्र को 500 करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे।

6. <u>उद्योग आधार ज्ञापनः</u>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण को एक-पृष्ठीय ऑनलाइन पंजीकरण पद्धति शुरू करके सरल किया गया है। उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) को अधिसूचित कर 18.09.2015 को शुरू किया गया और 22 लाख से अधिक उद्योग आधार ज्ञापन पंजीकृत किए गए हैं। यूएएम अब राज्य सरकारों और एमएसएमई संघों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा करने के बाद संशोधित किया जा रहा है।

7. <u>प्रौद्योगिकी केन्द्रः</u>

विश्व बैंक स्कीम की सहायता से भिवाडी, बद्दी, रोहतक, भोपाल, दुर्ग, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, इम्फाल, विशाखापत्तन, एनार्कुलम, बंगलुरू, सितारगंज और पुडुचेरी में 13 नये प्रौद्योगिकीकेन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। 2000 करोड़ रुपये से अधिक इन पर व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार दीमापुर (नागालैण्ड) में प्रौद्योगिकी केन्द्रों का भी उन्नयन कर रही है और अगरतला में नये प्रौद्योगिकी केन्द्रों के साथ आ रही है।

8. <u>वित्त सुविधा केन्द्रः</u>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने लुधियाना, जालंधर, गुवाहाटी, बंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई और जयपुर में 7 वित्त सुविधा केन्द्र पहले ही स्थापित किए हैं। बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदक इस वित्त सुविधा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनएसआईसी आवेदकों की बैंकों से ऋण लेने में सहायता करता है।एनएसआईसी ने सूक्ष्म इकाइयों पर 1 प्रतिशत और लघु व मध्यम उद्योगों पर 0.5 प्रतिशत तक कच्ची सामग्री सहायता पर ब्याज दर भी घटाई है। इसने सूक्ष्म के मामले में 40 प्रतिशत तक एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम की अपनी दर भी कम की है।

9. <u>कयर बोर्डः</u>

घरेलू उत्पादन बढ़कर 5.5 लाख टन हो गया है जो अब तक सबसे अधिक है। विगत वित्त वर्ष के दौरान निर्यात ने 1900 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को पार कर लिया।

10. <u>स्फूर्ति/एस्पायरः</u>

स्फूर्ति के अंतर्गत, 1 18.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 60 क्लस्टर अनुमोदित किए गए हैं जिससे 54,091 कारीगरों को लाभ हुआ है। एस्पायर के अंतर्गत 50 एलबीआई और 5 टीबीआई अनुमोदित किए गये हैं जिनमें से 20 ने इंक्यूबेशन कार्यकलाप शुरू कर दिये हैं। 3500 इंक्यूबेटिज इंक्यूबेशन प्राप्त कर रहे हैं/20 एलबीआई में इंक्यूबेशन पूरे कर लिए हैं। स्फूर्ति और एस्पायर वेबपोर्टल प्रस्ताव प्रस्तुत करने और स्कीमों की मॉनीटरिंग करने एवं कार्यान्वयन करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

11. <u>ई-पहलें:</u>

मंत्रालय ने अपने कार्य संचालन में बहुत पारदर्शी बनने की कोशिश की है और अधिकांश स्कीम ऑनलाइन हो गयी हैं। पीएमईजीपी 1 जुलाई, 2016 से ऑनलाइन है। जैसाकि पहले से ही इंगित है कि स्फूर्ति और एस्पायर के लिए वेबपोर्टल है। एमएसएमई का पंजीकरण उद्योग आधार ज्ञापन(यूएएम) के माध्यम से ही होता है।

ऑनलाइन आवेदन पद्धति खादी संस्थाओं और कारीगरों को बाजार विकास सहायता के संवितरण के लिए चालू की गयी है। ऑनलाइन आवेदन पद्धति (2.10.2016 को शुरू की गयी) भी खादी प्रमाणन के लिए विकसित की गयी है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) की सभी स्कीमें My MSME (मोबाइल ऐप पर भी) के माध्यम से ऑनलाइन की गयी है। कयर बोर्ड की स्कीमें भी My Coirऐप के माध्यम से ऑनलाइन की गयी हैं।

12. <u>आईईडीएस (भारतीय उद्यम विकास सेवा):</u>

पहली बार कैबिनेट ने एक नयी सेवा अर्थात् भारतीय उद्यम विकास सेवा (आईईडीएस) बनाने का निर्णय किया है। यह डीसी एमएसएमई के कार्य को अधिक संसक्तिशीलबनाएगा और 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्टैण्ड अप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया'के विजन को भी प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।

13. <u>एमएसएमई डाटाबैंकः</u>

एमएसएमई की ऑनलाइन गणना एमएसएमई डाटाबैंक के शुरूआत के साथ शुरू की गयी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) नियम, 2016 एमएसएमई डाटाबैंक पर सूचना देने के लिए इसे अनिवार्य बनाने हेतु अधिसूचित किया गया है। अब तक 59,000 से अधिक इकाइयों ने एमएसएमई डाटाबैंक पर सूचना दे दी है।

14. <u>"लेस-कैश" अर्थव्यवस्था की ओर संवर्धनः</u>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को ''लेस-कैश'' अर्थव्यवस्था की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न संगठनों ने 1600 से अधिक कार्यक्रम आयोजित कर लिए हैं जिनसे 27,000 से अधिक उद्यमों को ''लेस-कैश'' अर्थव्यवस्था की ओर जाने के लिए लाभान्वित किया है। यह भी आदेश दिया गया है कि इस मंत्रालय के सभी संगठनों में प्रशिक्षित किए जा रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों को कैश लेस भुगतान की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।